

मध्यस्थता विवाद निपटाने का संतुलित व सौहार्दपूर्ण तरीका, इससे मुकदमों का बोझ घटता है : सीजे सिन्हा

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने किया 40 घंटे के मध्यस्थता प्रशिक्षण का शुभारंभ

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

मध्यस्थता विवाद निपटाने का एक संतुलित और सौहार्दपूर्ण तरीका है। यह न केवल मुकदमों का बोझ घटाता है बल्कि लोगों को समयबद्ध और संतोषजनक समाधान भी देता है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सोमवार को 40 घंटे के मध्यस्थता प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए यह बातें कहीं। उन्होंने इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि 40 घंटे का यह पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव भी देगा, जिसमें केस स्टडी और रोल-प्ले अभ्यास शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में सोमवार को न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए 40 घंटे का व्यापक मध्यस्थता प्रशिक्षण



अब तक मध्यस्थता से 709 मामलों का निपटारा

सीजे सिन्हा ने बताया कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक 709 मामलों का सफल निपटारा हुआ है। यह आंकड़ा मध्यस्थता की बढ़ती स्वीकार्यता और प्रभाव को दर्शाता है। बता दें कि यह प्रशिक्षण 18 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा।

कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संस्क्षक जस्टिस रमेश सिन्हा ने किया। उद्घाटन सत्र में उनके साथ हाईकोर्ट के जस्टिस कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संजय के. अग्रवाल और मध्यस्थता केंद्र निगरानी समिति

के अध्यक्ष जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा, जस्टिस बिभु दत्त गुरु व जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद, महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा, वरिष्ठ मध्यस्थता प्रशिक्षक गिरीबाला सिंह व नीना खरे, रजिस्ट्रार जनरल मौजूद रहे।